ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।

आर0 एम0 वाद सं0–46/2017–18

| आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01.03.24 | **आदेश**<br>प्रस्तुत आर0 एम० वाद संख्या–46/2017–18 आवेदक–सुनील महतो एवं अन्य, पिता–राजन महतो, साकिन–सुरा, अंचल–सारठ, जिला–देवघर के द्वारा मौजा–सुरा, थाना नं०–04 के खाता नं0–17 अन्तर्गत आवेदन में वर्णित दाग नं0 का लगान धार्य करने हेतु समर्पित आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है।<br>2. इस संबंध में अंचल अधिकारी, सारठ से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो उनके पत्रांक–905/रा०, दिनांक–30.05.2018 द्वारा प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–सुरा, थाना नं०–04, खाता नं0–17 के जमाबंदी रैयत संतोखी मांझी वल्द बनवारी मांझी के नाम से खतियान में दर्ज है।<br>3. आवेदक द्वारा दाखिल कागजातों एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि जमाबंदी रैयती है। खतियान में पूर्व से लगान धार्य है।<br>4. उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, देवघर के पत्रांक–2098/रा०, दिनांक–12.11.2021 के साथ संलग्न सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक–1857, दिनांक–29.07.2020 के आलोक में ऑनलाईन दाखिल–खारिज की नई व्यवस्था के तहत किसी भी प्रकार के नामांतरण हेतु सक्षम न्यायालय अंचल कार्यालय है। आवेदकगण निबंधित पारिवारिक बँटवारा के साथ संबंधित अंचल कार्यालय में नामांतरण हेतु ऑनलाईन आवेदन दाखिल कर सकते हैं।<br>अतः उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।<br>**लेखापित एवं शुद्धित**<br>01/03/24<br>अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।<br>01/03/24<br>अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर। | |

Digitally signed by AASHISH AGARWAL
Date: 2024.08.20 12:20:45 +05:30
Location: 192.168.29.15